<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

आपराधिक पुनरीक्षण क्र. 150 / 2006

कुमारी चंद्राकर और तीन अन्य

वि.

छत्तीसग़ढ़ राज्य

आदेश हेतु 13.07.2006 को सूचीबद्ध करें.

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>समक्ष : माननीय दिलीप रावसाहेब देशमुख</u>

दांडिक पुनरीक्षण क्र. 150 / 2006

कुमारी चंद्राकर और तीन अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

श्री वाई.सी. शर्मा अधिवक्ता साथ में श्री वी. राठौर आवेदकगण की ओर से

श्री पराग कोटेचा, पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से

<u>आदेश</u>

(13 जुलाई 2006 को पारित)

यह दांडिक पुनरीक्षण श्री एन.डी. तिगाला, नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दांडिक अपील क्र. 274/2005 में दिनांक 27.2.2006 को दिए गए निर्णय से उत्पन्न हुआ है, जिसमें भा. दं. सं. की धारा 498–ए सहपठित धारा 34 के तहत श्री कार्तिकराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर द्वारा दांडिक प्रकरण क्र. 308/2001

में दिए गये छह महीने के कठोर कारावास और 300/– रुपये के जुर्माने के दंड की पुष्टि की गई थी।

2. यह विवादित नहीं है कि शकुन चंद्राकर का विवाह आवेदक क्र. 4–राजेश चंद्राकर से 5.5.2001 को हुआ था। उसका ससुराल छुईखदान में था। आवेदक क्र. 3–श्यामा बाई शकुन चंद्राकर की सास हैं। आवेदक क्र. 2–मोहन चंद्राकर आवेदक क्र. 4–राजेश चंद्राकर का भाई और आवेदक क्र. 1–कुमारी चंद्राकर आवेदक क्र. 2 की पत्नी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि शकुन चंद्राकर ने 18.10.2001 को महिला पुलिस थाना में एफ. आई. आर. दर्ज कराई कि शादी की रात उसके पति आवेदक क्र. 4 ने उसे यह कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि वह उसके भाई की पसंद थी। उसके बाद, आवेदकगण ने छुईखदान में पैसे, एक सोने की चेन और एक वाहन की मांग को लेकर शकुन बाई को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। अपने ससुराल में आवेदकगण के हाथों डेढ़ महीने तक लगातार उत्पीड़न का सामना करने के बाद, शकुन बाई अपने मायके लौट आईं। तत्पश्चात 2–4 दिनों के बाद ही वह फिर से अपने ससुराल लौट आईं। तीजा के त्योहार के बाद, वह आवेदक क्र.4 के साथ रामसागर पारा, रायपुर में रहने लगी, जहां दहेज की मांग को लेकर उसे सभी आवेदकगण द्वारा लगातार प्रताड़ित किया गया। 15 अगस्त को उसके पति, आवेदक क्र, 4, ने कुल्हाड़ी से हमला करने के प्रयास में उसका पीछा किया, जिसके कारण वह फिर से अपने मायके लौट आईं। 18.10.2001 को सुबह

लगभग 9.00 बजे जब वह अपनी सिलाई मशीन लाने के लिए रामसागर पारा, रायपुर में अपने ससुराल गई, तो मोहन, आवेदक क्र. 2, ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पत्नी, आवेदक क्र. 1, दोनों उससे झगड़ा करने लगे।

4. विवेचना पूरी होने के बाद आवेदकगण पर भा.दं.सं. के धारा 498–क के तहत अभियोजित किया गया। आवेदकगण ने निर्दोष होने का अभिवाक किया, गलत झूठे फंसाए जाने का तर्क किया और बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने शकुन चंद्राकर अ.सा.–1, उसकी मां चंपा बाई अ.सा.–2, उसके भाई उमेश अ.सा.–3 और उमेश के एक दोस्त राकेश अ.सा.–4 का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने आवेदकगण को उपरोक्त वर्णित कंडिका 1 के अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया। अपील में, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की गयी।

5. इस पुनरीक्षण में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री वाई.सी. शर्मा ने आलोच्य निर्णय को तीन–स्तरों पर चुनौती दिया। प्रथम, उन्होंने तर्क किया कि मोहन आवेदक क्र. 2, जो कि आवेदक क्र. 4 का भाई है के विरूद्ध कोई सबूत नहीं था। द्वितीय, यह तर्क दिया गया कि आवेदक क्र. 1, 3 और 4 के विरूद्ध एक जैसा आरोप भा.दं.सं. की धारा 498–क सपठित धारा 34 के तहत लगाना आवेदकगण को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। अंत में, यह बताया किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस दांडिक मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था, क्योंकि कथित क्रूरता छुईखदान में कारित हुई थी जो कि रायपुर स्थित विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर था। इस संबंध में रमेश व अन्य वि. तमिलनाडु राज्य, ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 1989, और वाई. अब्राहम अजित व अन्य वि. पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और अन्य ए.आई.आर. 2004 एस.सी. डब्ल्यू. 4788 के निर्णय पर भरोसा किया गया। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने आलोच्य निर्णय के समर्थन में तर्क किया, तर्क देते हुए कहा कि आवेदकगण को दोषी साबित करने हेतु उसके विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 498–ए सपठित धारा 34 के तहत निर्णायक सबूत हैं, और चूँकि साक्ष्य से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि दहेज की मांग को लेकर की गई कुछ क्रूरता रामसागर पारा, रायपुर में भी आरोपियों द्वारा की गई थी, इसलिए विद्वान निचली अदालत के पास इस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने दांडिक प्रकरण क्र. 308/2001 के अभिलेख का परीशीलन किया । मैं सबसे पहले आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई इस आपत्ति पर विचार करूंगा, जो प्रश्नागत अपराध की सुनवाई करने के संबंध में विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। दं.प्र.सं. की धारा 177 यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक अपराध की जांच और सुनवाई सामान्यत: उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में वह अपराध कारित किया गया। है। दं.प्र.सं. की

धारा 178 प्रावधानित करती है कि
जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, अथवा जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, अथवा जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है । धारा 178–(ब) उन मामलों को बताती है जिसमे एक अपराध आंशिक रूप से एक क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे क्षेत्र में किया गया हो। ऐसे मामले में दोनों क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों को ऐसे अपराध का संज्ञान लेने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता प्राप्त होता है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त सिद्धांत को अपनाते हुए, शकुन चंद्राकर द्वारा दर्ज की गई लिखित एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.1 से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि उसने आरोप लगाया था कि उसे न केवल छुईखदान में दहेज की मांग को लेकर आवेदकगण द्वारा प्रताड़ित किया गया था बल्कि रामसागर पारा, रायपुर, जहां वह 15 दिनों तक रही थी, में भी आवेदकगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दहेज की मांग को लेकर शकुन चंद्राकर का उत्पीड़न करने का कथित अपराध आवेदकगण द्वारा न केवल उसके ससुराल छुईखदान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में बल्कि रामसागर पारा, रायपुर में भी किया गया था। इस स्थिति में, इस संदर्भ में, चूंकि आरोपित अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया था, इसलिए इसे किसी भी ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा सकता था जिसके पास आवेदकगण के खिलाफ कथित अपराधों को सुनने की क्षेत्राधिकार थी। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णित विधि स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। रमेश और अन्य (उपरोक्त) में, यह धारित किया गया कि जहां पत्नी के प्रति क्रूरता और दहेज की मांग के अधिकतर कार्य दो अलग–अलग स्थानों पर किए गए थे, वहां तीसरे स्थान पर स्थित न्यायालय, जहां पत्नी अपने माता–पिता के साथ रह रही थी, को उस अपराध की सुनवाई की कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। वाई. थी। अब्राहम अजित और अन्य (उपरोक्त) में भी, शिकायतकर्ता ने अपने पति का स्थान छोड़ दिया और दूसरे स्थान पर रहने चली गई जहां दहेज की मांग या अपराध गठित करने वाले किसी भी कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए, यह माना गया था कि ऐसे स्थान पर स्थित न्यायालय को धारा 498–क और 406 भा.दं.सं के तहत अपराध की सुनवाई की कोई क्षेत्राधिकार नहीं थी। इस स्थिति में, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए विचारण न्यायालय की क्षेत्राधिकार के संबंध में उठाई गयी आपत्ति में कोई बल नहीं है और यह खारिज किये जाने योग्य है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. शकुन चंद्राकर अ.सा.1 ने कथन किया कि उसका विवाह आवेदक क्र.4–राजेश चंद्राकर से 5 मई 2001 को छुईखदान में हुआ था और उसी दिन से वह छुईखदान में एक महीने तक रह रही थीं। कंडिका 3 में उसने बताया कि शादी के बाद शादी वाले रात को ही उसके पति ने उससे कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह उसके भाई की पसंद थी। उसके बाद, शकुन चंद्राकर ने एक समान आरोप का लगाया कि उसकी सास श्यामा बाई, आवेदक क्र. 3, ननद कुमारी चंद्राकर, आवेदक क्र. 1 और उसके पति, आवेदक क्र. 4 ने उसे पीटना शुरू कर दिया और एक कार, सोने की चेन और 40,000/– रुपये दहेज के रूप में मांगे। ऐसा साक्ष्य देते समय उसने सही तिथि, समय व स्थान का खुलासा नहीं किया था। उसके द्वारा यह भी कथन नहीं किया गया है कि उसे कैसे और किस तरह पीटा गया और क्या उसने ऐसी पिटाई की शिकायत आस–पास किसी से की थी। उसने विशेष रूप से, यह कथन नही किया है कि उसके देवर मोहन कुमार चंद्राकर, आवेदक क्र. 2 भी उसे मारता था या दहेज मांगता था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपने साक्ष्य के कंडिका 9 में, शकुन चंद्राकर अ.सा.1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शादी के बाद वह छुईखदान में अपने ससुराल में रह रही थीं। कंडिका 10 में उसने स्वीकार किया है कि आवेदक क्र. –2–मोहन चंद्राकर, उसके देवर और आवेदक क्र.–1–कुमारी चंद्राकर, उसकी ननद रामसागर पारा, रायपुर में रहते थे। इससे यह स्पष्ट है कि कुमारी चंद्राकर और मोहन चंद्राकर कभी भी आवेदक क्र.– 4–राजेश के साथ छुईखदान,

यानी शकुन चंद्राकर के ससुराल में नहीं रहते थे। उसके साक्ष्य के कंडिका 5 में, कि प्राप्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से एक सप्ताह पहले जब वह अपनी सिलाई मशीन लाने के लिए रामसागर पारा, रायपुर गई थीं, तो कुमारी चंद्राकर और मोहन चंद्राकर ने उसके बाल पकड़ लिए और उस पर हमला किया और उसे सिलाई मशीन देने से इनकार कर दिया, अविश्वसनीय हो जाता है क्योंकि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.–1 में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यद्यपि अपने एफ.आई.आर. में, शकुन चंद्राकर ने बताया था कि वह 15 दिनों तक रामसागर पारा, रायपुर के घर में रही थी, इस अवधि के दौरान उससे पैसे की मांग करते हुए प्रताड़ित किया गया था, फिर भी अपने साक्ष्य में, उसने यह नहीं बताया कि रामसागर पारा में आवेदक क्र. 1– कुमारी चंद्राकर और आवेदक क्र. 2–मोहन चंद्राकर ने पैसे की मांग की थी या इस कारण उसे प्रताड़ित किये थे। जहाँ तक सोने की चेन की मांग का प्रश्न है, यह आरोप भी विश्वसनीय नहीं लगता है क्योंकि अपने साक्ष्य के कंडिका 14 में शकुन चंद्राकर ने स्वीकारोक्ति की है कि उसकी शादी में उसके माता–पिता ने सोफा, कूलर, सोने की चेन, अंगूठी, घड़ी, सोने का मंगलसूत्र आदि दहेज के रूप में दिया था। यह भी विश्वसनीय नहीं लगता कि आवेदक क्र.1– कुमारी चंद्राकर और आवेदक क्र.2– मोहन चंद्राकर, जो आवेदक क्र. 4– राजेश के साथ छुईखदान में नहीं रहते थे, दहेज की मांग को लेकर शकुन चंद्राकर को प्रताड़ित किए होंगे।

10. शकुन चंद्राकर का आचरण भी उसके साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि शादी के बाद के 5 महीने की अवधि के दौरान उसने किसी भी पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। यह टिप्पणी करना भी प्रासंगिक सुसंगत है कि शकुन चंद्राकर की मां चंपा बाई अ.सा.–2 ने अपने साक्ष्य के कंडिका 2 में यह नहीं बताया कि आवेदक क्र. 4– राजेश, यानी शकुन के पति, ने 40,000/– रुपये और एक कार का दहेज में मांगते हुए प्रताड़ित किया करता था। उसका यह साक्ष्य कि आवेदकगण – श्यामा बाई, कुमारी और मोहन 40,000/– रुपये और एक वाहन की मांग करते थे, विश्वसनीय नहीं लगता क्योंकि मोहन और कुमारी छुईखदान में कभी भी नहीं रहते थे। कंडिका 3 में उसने बताया है कि अपने मायके लौटने पर, शकुन ने उसे बताया था कि उसके "ससुरालवाले" उसे 40,000/–, एक कार और एक सोने की चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। हालांकि, यहां भी उसने विशेष रूप से यह नहीं बताया कि शकुन चंद्राकर के पति, यानी आवेदक क्र. 4– राजेश, शकुन बाई को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था। इस प्रकार चंपा बाई अ.सा.–2 की गवाही संदिग्ध हो जाती है। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय हो जाती है क्योंकि शकुन बाई के भाई उमेश ने कंडिका 5 में साक्ष्य दिया है कि जब शकुन शादी के तुरंत बाद अपने मायके वापस आयी तो उसने दहेज की किसी भी मांग या किसी भी उत्पीड़न के बारे में कुछ नहीं बताया था बल्कि कहा था कि सब कुछ सामान्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. उमेश अ.सा. 3, शकुन चंद्राकर के भाई ने साक्ष्य किया है कि शकुन चंद्राकर के साथ शादी के तुरंत बाद छुईखदान जाने पर, आवेदक क्र. 4– राजेश ने उससे कहा था कि वह अपने पिता से एक कार, सोने की चेन और 40,000/– रुपये दिलवाने को कहे, जिस पर उसने अपने पिता को उपरोक्त मांग के बारे में सूचित किया था, लेकिन उमेश के पिता राधेश्याम को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया था। यहां तक कि शकुन अ.सा.–1 ने भी अपने साक्ष्य में यह कथन नही किया है कि जब वह अपने भाई उमेश के साथ अपने ससुराल गई थी, आवेदक क्र. 4–राजेश ने उपरोक्त दहेज की मांग की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. राकेश अ.सा.–4 का साक्ष्य भी विश्वास के योग्य नहीं है क्योंकि वह उमेश, शकुन बाई के भाई का एक करीबी दोस्त होने के कारण एक अत्यन्त हितबद्ध गवाह है। उसका यह साक्ष्य कि उमेश के साथ शकुन बाई के ससुराल जाने पर, आवेदक क्र. 4– राजेश ने उसे शकुन से मिलने की अनुमति नहीं दी, भी पूरी तरह से अविश्वसनीय है क्योंकि शकुन चंद्राकर या उमेश अ. सा.–3 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था।

13. जहां तक आवेदक क्र.–4 द्वारा शकुन चंद्राकर पर टांगिया से हमला करने के प्रयास में पीछा करने के आरोप का संबंध है, यह भी पूर्णत: विश्वास के योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक क्रमांक 4 – राजेश द्वारा ऐसी किसी हरकत के लिए कोई कारण नहीं था, इसलिए यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि छुईखदान, जहां आवेदक क्रमांक 4

रहता था, वहां के किसी भी स्थानीय गवाह की गवाही इस तथ्य की पुष्टि के लिए पेश नहीं किया गया। यदि आवेदक क्रमांक 4 ने शकुन चंद्राकर का पीछा कर उस पर टंगिया से हमला करने की कोशिश की होती, तो इसके स्वतंत्र समर्थन की संभावना उपलब्ध होती। शकुन चंद्राकर या उमेश द्वारा 7 दिनों तक उपरोक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज न करने का कोई पुख्ता कारण नहीं बताया गया। न तो शकुन चंद्राकर के शरीर पर किसी चोट का आरोप लगाया गया है और न ही किसी स्वतंत्र साक्षी की जांच की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. शकुन चंद्राकर का साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसके माता–पिता ने शादी में सोफा, कूलर, सोने की चेन, अंगूठी और मंगलसूत्र आदि दहेज के रूप में दिए थे। उमेश अ. सा.–3 ने कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि शादी से पहले दहेज की कोई मांग नहीं की गयी थी क्योंकि उसके समुदाय में प्रचलित रीति–रिवाज में इसकी अनुमति नहीं है। उसका साक्ष्य कि शादी के बाद पहली बार अपने मायके लौटने पर, शकुन चंद्राकर ने किसी भी बात की शिकायत नहीं की बल्कि कहा कि सब कुछ सामान्य था, अभियोजन की कहानी को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है कि दहेज की मांग को लेकर शकुन चंद्राकर का उत्पीड़न आवेदक क्र.–4 द्वारा उसकी शादी के तुरंत बाद से की गयी थी।

15. कुमारी चंद्राकर और मोहन चंद्राकर के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे प्रतीत होते हैं क्योंकि वे शकुन चंद्राकर के साथ उसके ससुराल छुईखदान में नहीं रहते थे बल्कि रामसागर पारा, रायपुर में रहते थे। शकुन चंद्राकर की साक्ष्य के कंडिका 5 में उसके

खिलाफ लगाए गए आरोप कि आवेदक क्र. 2 द्वारा उसका हाथ पकड़ना और मारपीट करना जब वह अपना सिलाई मशीन वापस मांग रही थी, का आरोप भी अविश्वसनीय है क्योंकि उपरोक्त आरोप लिखित रिपोर्ट में नहीं पाया गया। यह खारिज नहीं किया जा सकता है कि शकुन चंद्राकर ने दहेज की मांग से संबंधित आवेदकगण के खिलाफ एक झूठा आरोप लगाया था क्योंकि उसकी साक्ष्य के कंडिका–11 में, कि उसकी शादी से पहले आवेदक क्र.–4 के रिश्तेदारों द्वारा दहेज मांगा गया था जो उसके समुदाय में प्रचलित है, उमेश अ. सा. 3 की कंडिका 4 में स्वीकारोक्ति के कारण झूठी साबित होती है, जिसे कंडिका 14 (ऊपरोक्त) में वर्णित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को समग्र रूप से विचार करने के बाद, मेरी यह स्पष्ट अभिमत है कि अभियोजन पक्ष भा.दं.सं. की धारा 498–क सहपठित धारा 34 के तहत कारित अपराध के तत्वों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। भा.दं.सं. की धारा 498–क की व्याख्या (ख) के तहत क्रूरता का अर्थ महिला का उत्पीड़न है जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से है, या उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण है। विद्वान विचारण न्यायाधीश और अपीलीय न्यायालय दोनों अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में गंभीर विसंगतियों को देखने में विफल रहे जो इसे

पूरी तरह से अविश्वसनीय बनाती हैं। दोनों निचली अदालतों ने यह भी संज्ञान में नहीं लिया कि जांच अधिकारी का परीक्षण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं कराया गया था। शकुन बाई के ससुराल के आसपास रहने वाले किसी भी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं कराया गया । उन्होंने यह भी संज्ञान में नही लिया कि शकुन बाई अ.सा.–1 और चंपा बाई अ.सा.–2 की दहेज की मांग से संबंधित बयान शादी के तुरंत बाद उमेश के साक्ष्य के कंडिका 4 और 5 में स्वीकारोक्ति के आलोक में पूरी तरह से अविश्वसनीय थी। रामसागर पारा, रायपुर में आवेदकगण क्र. 1 और 2 द्वारा उत्पीड़न और शकुन बाई के साक्ष्य के संबंध में गंभीर विसंगति को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इस प्रकार, आवेदकगण को भा.दं.सं. की धारा 498–क सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराने के लिए अभिलेख पर कोई ठोस विधिक या विश्वसनीय सबूत नहीं है। इस प्रकार भा.दं.सं. की धारा 498–क सपठित धारा 34 के तहत आवेदकगण की दोषसिद्धि पूरी तरह से विधि के विपरीत है और पहली नज़र में स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करते हुए निरस्त किए जाने योग्य है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. परिणामस्वरूप, यह पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। दांडिक अपील क्र. 274/2005 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2005 और दांडिक प्रकरण क्र. 308/2001 में पारित निर्णय दिनांक 1.10.2005 को भी अपास्त किया जाता है।

आवेदक क्र. 1– कुमारी चंद्राकर, आवेदक क्र. 2–मोहन चंद्राकर और आवेदक क्र. 4–राजेश चंद्राकर को भा.दं.सं. की धारा 498–ए सपठित धारा 34 के आरोप से बरी किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाय।

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Dr. Shiv Kumar Shrivastava (Advocate).